

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक JAIPUR, राजस्थान

क्रमांक: DEO (HOD) Sec/JPR/L-5/2022-23/489 दिनांक 24.08.2022

सचिव

प्रबंध समिति

S.G. INTERNATIONAL SCHOOL

विषय - राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 39050 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती सत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, S.G. INTERNATIONAL SCHOOL पता KALWAR, JHOTWARA, JAIPUR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय ब्लॉक JHOTWARA को शैक्षिक सत्र 2022-23 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Primary with Upper Primary (1-3)
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	No

- विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अदिलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
- विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
- विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

शर्त:-संबन्धित संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि लगाये गये आक्षेपों/कमियों की शीघ्र पूर्ति करें।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
मुख्यालय माध्यमिक
माध्यमिक जयपुर

- प्रतिरूपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
 - 2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
 - 3 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - 4 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक जयपुर

गैर सरकारी विद्यालयों की मान्यता हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन

आवेदन-पत्र क्रमांक : 52822

संस्थान - (-) S.G. INTERNATIONAL SCHOOL

6	विद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण सही है	हाँ / नहीं	-
7	आवेदन पत्र के साथ संलग्न 5 फोटो के अनुसार विद्यालय में भवन /सुविधा उपलब्ध है।	हाँ / नहीं	-
8	आवेदन पत्र में दिया गया गत तीन वर्षों का आय-व्यय का विवरण सही है।	हाँ / नहीं	-
9	विद्यालय शहरी क्षेत्र (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम) अथवा ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्र में स्थित है।	शहरी / ग्रामीण	-
10	शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय भवन एवं खेल मैदान की भूमि का रूपान्तरण शैक्षिक प्रयोजनार्थ किया गया है।	हाँ / नहीं	-

मान्यता के सम्बन्ध में निरीक्षण दल की टिप्पणी :

निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 10/05/2025 डी विद्यालय (S.G. International school) में निरीक्षण किया गया। विद्यालय डी नाम परिवर्तन डी अनिवार्य की जाती है।

2 मान्यता के सम्बन्ध में निरीक्षण दल की अभिशंका :

क्र. सं.	आवेदन का प्रकार	निरीक्षण दल की अभिशंका (हाँ / नहीं)
1	नाम परिवर्तन-	हाँ
	स्थान परिवर्तन के प्रकरणों में विद्यालय द्वारा पूर्व में बिना विभागीय स्वीकृति के स्थान परिवर्तन कर लिया गया है ?	हाँ / नहीं
	आवेदन करने वाले विद्यालय के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच/ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग / राज्य मानव अधिकार आयोग आदि के प्रकरणों के सम्बन्ध में जारी दण्डादेश प्रभावी है ?	हाँ / नहीं
	विद्यालय द्वारा मान्यता समर्पित (विद्यालय बन्द किए जाने की स्थिति में) करने के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को टी.सी. प्रदान कर दी गयी है एवं आरटीई के अन्तर्गत अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों व अन्य विद्यार्थियों को किसी दूसरे विद्यालय में सुगमता से प्रवेश करवा दिया गया है, विद्यालय रिकार्ड जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाया गया है।	

3 मान्यता के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी की अभिशंका :

हो निरीक्षण कर्ता सदस्य -2
मय दिनांक व मोहर

निरीक्षण कर्ता अथवा
मय दिनांक व मोहर
1.उ.मा.वि. कोरलीना
कलकत्ता (जयपुर)

हो निरीक्षण कर्ता सदस्य -1
मय दिनांक व मोहर
राजकीय उ.स.प्रा. विद्यालय
पालेडा, जमदाराभगद, जयपुर
http://rajpsp.nic.in Web-Portal